न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 00009 / 2008

उनवान

नानु पिता स्व0 श्री लोजा जाति भील निवासी केसरपुरा तहसील गढ़ी हाल तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

(1) मृतक मोगा पिता स्व० श्री केला, जाति भील निवासी गांव केसरपुरा तेहसील गढी हाल तहसील अरथूना के वारिसानः—

1 / 1. दिनेश पिता स्व श्री मोगा जाति भील निवासी केसरपुरा।

(2) कानु पिता स्व० रंगजी जाति भील निवासी गांव चौरडी (मलेर) तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा।

(3) गला पिता स्व० रंगजी जाति भील निवासी गांव चोरडी (मलेर) तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा।

(4) मृतक मुरा पिता स्व० लौंजा जाति भील निवासी गांव केसरपुरा तहसील गढी हाल तहसील अरथूना के वारिसानः—

4 / 1. श्रीमती रतन पत्नि स्व0 श्री भूरा निवासी केसरपुरा।

4 / 2 शान्तिलाल पिता स्व0 श्री भूरा निवासी केसरपुरा।

4 / 3. सुरजमल पिता स्व0 श्री भूरा निवासी केसरपुरा की वलीया माता श्रीमती रतन पत्नि स्व0 श्री भुरा निवासी केसरपुरा।

(5) भूमिधारी तहसीलदार, तहसील गढ़ी हाल तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

(6) मृतक वाला पिता कचरू जाति भील निवासी केसरपुरा तहसी गढ़ी हाल तहसील अरथूना के वारिसानः—

6 / 1. विरजी पिता स्व0 श्री वाला जाति भील निवासी केसरपुरा।

6 / 2. सुखलाल पिता स्व श्री वाला जाति भील निवासी केसरपुरा।

6 / 3. श्रीमती रिशम पत्नि स्व0 श्री वाला जाति भील निवासी केसरपुरा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 20.8.2024

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी व प्रतिवादीगण नंबर एक से लगायत चार तक मुल पुरुष केला पिता हेमता भील निवासी केशरपुरा तेही गढी जिला बांसवाड़ा के निकटतम उत्तराधिकारी है व वंशावली निम्नानुसार हैः—

वादी व प्रतिवादी संख्या एम व चार के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि वर्तमान खाता नम्बर 105 (नई) 102 (पुरानी) के खसरा नम्बर 475 रकबा 0.08 हे0, खसरा नम्बर 644 रकबा 0.03 हे0, खसरा नम्बर 651 रकबा 0.04 हे0, खसरा नम्बर 662 रकबा 0.06 हे0, खसरा नम्बर 663 रकबा 0.26 हे0, खसरा नम्बर 669 रकबा 0.25 हे0, खसरा नम्बर 673 रकबा 0.01 हे0, खसरा नम्बर 674 रकबा 0.16 हे0, खसरा नम्बर 675 रकबा [illegible] हे0, खसरा नम्बर 676 रकबा 0.09 हे0, खसरा नम्बर 677 रकबा 0.14 हे0, खसरा नम्बर [illegible]9 रकबा 0.13 हे0, खसरा नम्बर 720 रकबा 0.11 हे0, खसरा नम्बर 721 रकबा 0.41 हे0, खसरा नम्बर 734 रकबा 0.12 हे0, खसरा नम्बर 735 रकबा 0.17 हे0 कुल किता 16 रकबा 2.27 [illegible] भूमि वाके गांव केसरपुरा पटवार मण्डल केसरपुरा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा में स्थित हो[illegible] मौके पर वादी का कब्जा काश्त, स्वत्व प्रतिवादी संख्या एक व चार के साथ मौजुद है तथा वादी काबिज होकर कमाता चला आ रहा है और लगान मिल कर अदा वादी व प्रतिवादी संख्या एक व चार कर रहे है। उक्त कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि के भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा मूल खसरा नम्बरान के हाल खसरा नम्बरान बनाये गये जो निम्नानुसार हैः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:24:34 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

हाल खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	साबिक खसरा नम्बर	रकबा
475	0.08	356	9 बिस्वा
644	0.03	420	9 बिस्वा
651	0.04	419	6 बिस्वा
662	[illegible]	666	7 बिस्वा
663	0.26	405	1 बीघा 15 बिस्वा
669	[illegible]	411	1 बीघा 14 बिस्वा
		412	2 बिस्वा
673	[illegible]	407	2 बिस्वा
674		406	1 बीघा 3 बिस्वा
675	0.15	404	17 बिस्वा
676	0.09	402	8 बिस्वा
677	0.14	403	14 बिस्वा
679	0.13	408	7 बिस्वा
720	0.11	675	13 बिस्वा
721	0.41	674	2 बीघा 5 बिस्वा
734	0.12	670	16 बिस्वा
735	0.17	669	1 बीघा

उक्त तालिका में दर्ज मुल खारा नंबरान 356, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 411, 412, 419, 420, 666, 669, 670, 674 एवं खबरा नंबर 675 कुल खेत 17 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा भूमि वाके गांव केसरपुरा पटवार मण्डल केसरपुरा तहतील गढ़ी के मुल खातेदार व स्वामी वादी व प्रतिवादीगंण के पुर्वज केला पिता हैमता भील थे और उक्त कुल कृषि भूमि केला पिता हैमता के खातेदारी की दर्ज रही और केला काबिज होकर कमाने लगे व फसल लेने लगे। केला के चार पुत्र रुपा, रंगजी, मोगा व वादी के पिता लोंजा हुवे केला के जीवनकाल मे उसका पुत्र रंगजी गांव केसरपुरा छोड़ कर करिबन 40–45 साल पूर्व गांव चौरडी (मोर) तहसील बागीदौरा मे जाकर बस गया और उक्त भूमि पर कभी भी रंगजी ने अपने जीवनकाल मे खेती नही की ओर ना रंगजी के पुत्रगण प्रतिवादी सं० 2 व 3 ने कभी कृषि कार्य किया और ना उक्त भूमि पर प्रतिवादी सं० 2, 1, 3 का कबजा काश्त है परंतु मुल पुरुष कैला के वारिसान होने के दावे मे पक्षकार प्रतिवादी बनाये है तथा वादी का एक भाई कानजी विगत करिबन 8 साल से लापता हो चुका हैं तथा कानजी का कोई पता नहीं है। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 4 के संयुक्त कबजे, स्वामित्व की होकर भी मक्की की फसल बोयी है। इस तरह उक्त कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं० 4 का 1/2 भाग व प्रतिवादी सं० 1 का 1/2 भाग बनता है । कैला का अन्य पुत्र रुपा लाओलाद फौत हो चुका हैं। मुल पुरुष केला के देहांत के बाद प्रतिवादी सं० एक व स्व० रुपा ने अपने आपको उनका पुत्र होना बतलाकर विरासत नामांतरकरण नंबर 64 दिनांक 22.12.70 को वादी व उसके पिता की जानकारी के बिना मिल मिलाकर करवा लिया और रूपा के देहान्त के बाद प्रतिवादी० एक उक्त पुरा पत्रक कृषि खाता उसके अकेले के नाम से दर्ज करवा लिया जो वर्तमान मे प्रतिवादी संख्या एक के अकेले के नाम से विधि विरुद्ध दर्ज है और वादी खातेदारी घोषणा व विभाजन का कानूनन हकदार होने से यह वादपत्र पेश है। वादी का पुर्वज के समय से उक्त कुल कृषि भूमि पर मौके पर प्रतिवादी सं० 1 व 4 के साथ कब्जाकाश्त मोजुद है और वादी अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है । वादी ने जुन 2008 में जब खेत तैयार कर रहा था तब प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी से झगड़ा किया व कहा कि पूरा खाता हमारा हो गया है तुम मत कमाओ जिस पर वादी ने दिनांक 30.6.08 को गांव ईकटठा किया तो प्रतिवादी सं० 1 ने वादी व प्रतिवादी सं० 4 का नाम तहसील मे चल कर दर्ज करवाने की सहमति दी। परंतु दिनांक 2.7.08 को प्रतिवादी सं० एक बदल गया जिस पर वादी ने उक्त पैत्रक कृषि भूमि के समस्त रेवेन्यू अभिलेख व नामांतकरण की प्रमाणित नकले प्राप्त की तो वादी को पता चला कि उसका नाम खाते में दर्ज नहीं है व प्रतिवादी सं० एक ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर उसके नाम से पैत्रक खाता दर्ज करवा लिया है। इस प्रकार प्रतिवादी सं० एक व स्व० रूपा के हक मे जो भी इन्द्राजात हुवे है वह गैरकानुनी होकर निरस्तनीय है यदि वादी को उक्त कृषि भूमि का खातेदार कृष्णक घोषित नहीं किया और

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:24:34 IST
Reason: SelfAttested

वादी का हक, हित, हिस्सा वादी के नाम से पृथक बंटवारे से खाता दर्ज नहीं किया तो वादी को असहाय हानि होगी जिसका रुपयों में क्लिन नहीं हो सकेगा बोर वादी को एक से अनेक कार्यवाहिया करनी पडेगी। वाद का व्यवहार कारण बमाह जुन 2008 में उक्त पैत्रक कृषि भूमि तैयार करने के समय प्रतिवादी सं० एक वादी के साथ झगड़ा करने से, दिनांक 3.6.08 को गांव वालो के सामने प्रतिवादी संख्या एक द्वारा वादी व प्रतिवादी सं० चार का नाम दर्ज करवाने की सहमति देने से, दिनांक 02.7.08 को प्रतिवादी सं० एक के बदल जाने पर रेकार्ड प्राप्त करने व दिनांक 15.7.08 को प्रतिवादी सं० एक व चार के द्वारा मिल कर वादी को डराने धमकाने व विवाद करने से तथा हलका पटवारी द्वारा न्यायालय मे वादपत्र पेश करने की हिदायत दिये जाने से न्यायालय परिसीमा मैं उत्पन्न हुवा हैं। मुल खतरा नंबरान 356, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 411, 412, 419, 420, 666, 669, 670, 674 एवं खबरा नंबर 675 कुल खेत 17 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा हाल खसरा नंबरान 475, 644, 651, 662, 663, 666, 673, 674, 676, 677, 679, 720, 721, 734 व 735 कुल क्षेत्रफल 2.21 हे0 वाके गांव केसरपुरा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा जिसका पुर्ण विवरण वादपत्र चरण दो व तीन में विस्तार से बताया गया है में वादी को प्रतिवादी संख्या एक साथ खातेदार कृषक पोषित किया जाये और वादी व प्रतिवादी संख्या खर का 1/2 भाग में से वादी का 1/4 भाग का पृथक खाता बटवारें से दर्ज किया जावे। इस हेतु वाद पेश हुआ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री राजकुमार जैन, अभिभाषक का वकालतनामा पैश होकर पत्रावली जवाब हेतु नियत की जाने पर दौरानु कार्यवाही प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा प्रकरण में "NO INSTRUCTION PLEAD" किया जाने पर प्रतिवादीगण के नाम पृथक–पृथक सूचना–पत्र जारी कर अन्य अभिभाषक की नियुक्ति कर पैरवी करने हेतु सूचित किया जाने प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। तत्चश्चात् प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वादी अभिभाषक की एक पक्षीय बहस पर मनन किया जाकर वादी की ओर से प्रस्तुत वाद, राजस्व अभिलेख यथाः नामान्तरकरण संख्या 64 दिनांक 22.12.70 प्रदर्श–1, भू–प्रबन्ध विभाग की खतौनी जमाबन्दी संवत–2030 प्रदर्श–2, मौजा केसरपुरा के खाता संख्या 105 (नया) 102 (पुराना) की जमाबन्दी संवत 2062 से 2065 प्रदर्श–3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4, मौजा केसरपुरा के खाता संख्या 292 (नया) 226 (पुराना) की जमाबन्दी संवत 2062 से 2065 प्रदर्श–5 नामान्तरकरण संख्या 446 दिनांक 5.6.2009 प्रदर्श–6, मौजा केसरपुरा के खाता संख्या 150 (नया) 105 (पुराना) की जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 प्रदर्श–7 का अवलोकन करने पर ज्ञात आया कि वादग्रस्त भूमि के मूल पुरूष केला के चार वारिसान क्रमशः रूपा (लाऔलाद फोत) रंगजी (फोत – वारिसान कानु–गला) मोगा, लोजा (फोत – वारिसान भूरा–नानु–कानजी) थे। नामान्तरकरण संख्या 64 दिनांक 22.12.70 प्रदर्श–1 अनुसार हल्का पटवारी द्वारा केला के उत्तराधिकारी के रूप में रूपा – मोगा के नाम नामान्तरकरण भरकर प्रस्तुत किया गया, नामान्तरकरण स्वीकृतिकर्ता द्वारा केला के उत्तराधिकारी के रूप में रूपा – रंगजी – मोगा के नाम इन्द्राज करने की स्वीकृति दी जाने के पश्चात् भी प्रदर्श–2 अनुसार राजस्व कर्मियों द्वारा रूपा व मोगा के ही नाम का अमल–दरामद किया गया। रूपा के फोत होने पर प्रदर्श–3 अनुसार मो[illegible]स ही खाता कायम हुआ। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में मूल पुरूष केला [illegible] के वारिसान तथा केला के उत्तराधिकारी लोजा के वादी नानु व प्रतिवादी संख्या [illegible] के अलावा कानजी जो कि लापता बताया गया हैं के लिये किसी प्रकार के अनुतोष की मांग नही की गई है। प्रथम दृष्टया मूल पुरूष के उत्तराधिकारी के रूप में रंगजी (फोत – वारिसान कानु–गला) मोगा, लोजा (फोत – वारिसान भूरा–नानु–कानजी) को सहखातेदार घोषित कराने का वाद में अनुतोष चाहा जाना था। केला के उत्तराधिकारी लोजा के फोत होने पर लोजा का पुत्र कानजी जो कि लापता है इस हेतु वादी अभिभाषक को "ईश्तिहार" प्रकाशित कर समाचार–पत्र की प्रति प्रस्तुत करने कई अवसर दिये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:24:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

के उपरान्त भी समाचार–पत्र में कानजी के लापता होने का "ईश्तिहार" प्रकाशित कर समाचार–पत्र की प्रति प्रस्तुत नही की गई।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि वादग्रस्त भूमि मूल पुरूष केला के नाम दर्ज रिकार्ड होकर स्व0 श्री केला के चार पुत्र क्रमशः रूपा, रंगजी, मोगा व लोजा थे। वदग्रस्त भूमि मूल पुरूष केला के चारों उत्तराधिकारी के नाम 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड होनी चाहिए थी। परन्तु तत्समय चारों पुत्र के नाम दर्ज रिकार्ड नही होकर मात्र दो पुत्र रूपा व मोगा के नाम ही दर्ज रिकार्ड हुई। रूपा व मोगा के नाम उत्तराधिकारी का नामान्तरकरण प्रस्तुत होने पर नामान्तरकरण स्वीकृतिकर्ता द्वारा रूपा, रंगजी, मोगा को उत्तराधिकारी होना अंकित किया जाकर नामान्तरकरण सीकृत किया गया। राजस्व कार्मिको की गलती से अमल–दरामद के समय रंगजी का नाम खातें में इन्द्राज नही किया गया जो न्यायोचित नही है। इसी प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद की वशांवली में मूल पुरूष केला के उत्तराधिकारी के रूप में प्रथम पुत्र रूपा लाऔलाद फोत तथा चोथा पुत्र लोजा अंकित किया जाकर लोजा के तीन पुत्र क्रमशः भूरा, नानु, कानजी दर्शाये गये है।

अतः उक्त प्रकरण में पटवार हल्का केसरपुरा के मौजा केसरपुरा की जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 के खाता संख्या 150 (नया) 105 (पुराना) के कुल किता 1.96 हे0 भूमि में दर्ज खातेदार मोगा पिता केला के दौराने वाद फोत हो जाने से स्व0 श्री मोगा के वारिसान दिनेश पिता स्व0 श्री मोगा साथ वादग्रस्त भूमि के मूल पुरूष स्व श्री केला के उत्तराधिकारी के रूप में कानु–गला पुत्र स्व0 श्री रंगजी, नानु–कानजी पुत्र स्व0 श्री लोजा, श्रीमती रतन पत्नि स्व0 श्री भुरा–शान्तिलाल पिता स्व0 श्री भुरा–सुरजमल पिता स्व0 श्री भुरा की वलीया माता रतन पत्नि स्व0 श्री भुरा को सहखातेदार घोषित किया जाता है।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

आदेश

पटवार हल्का केसरपुरा के मौजा केसरपुरा की जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 के खाता संख्या 150 (नया) 105 (पुराना) के कुल किता 1.96 हे0 भूमि में दर्ज खातेदार मोगा पिता केला के दौराने वाद फोत हो जाने से स्व0 श्री मोगा के वारिसान दिनेश पिता स्व0 श्री मोगा साथ वादग्रस्त भूमि के मूल पुरूष स्व श्री केला के उत्तराधिकारी के रूप में कानु–गला पुत्र स्व0 श्री रंगजी, नानु–कानजी पुत्र स्व0 श्री लोजा, श्रीमती रतन पत्नि स्व0 श्री भुरा–शान्तिलाल पिता स्व0 श्री भुरा–सुरजमल पिता स्व0 श्री भुरा की वलीया माता रतन पत्नि स्व0 श्री भुरा को सहखातेदार घोषित किया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.8.2024 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:24:34 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 00009/2008

उनवान

नानु पिता स्व0 श्री लोजा जाति भील निवासी केसरपुरा तहसील गढ़ी हाल तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

–: वादी

बनाम

(1) मृतक मोगा पिता स्व० श्री केला, जाति भील निवासी गांव केसरपुरा तेहसील गढी हाल तहसील अरथूना के वारिसानः–

1/1. दिनेश पिता स्व श्री मोगा जाति भील निवासी केसरपुरा।

(2) कानु पिता स्व० रंगजी जाति भील निवासी गांव चौरडी (मलेर) तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा।

(3) गला पिता स्व० रंगजी जाति भील निवासी गांव चोरडी (मलेर) तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा।

(4) मृतक भुरा पिता स्व० लौंजा जाति भील निवासी गांव केसरपुरा तहसील गढी हाल तहसील अरथूना के वारिसानः–

4/1. श्रीमती रतन पत्नि स्व0 श्री भूरा निवासी केसरपुरा।

4/2 शान्तिलाल पिता स्व0 श्री भूरा निवासी केसरपुरा।

4/3. सुरजमल पिता स्व0 श्री भूरा निवासी केसरपुरा की वलीया माता श्रीमती रतन पत्नि स्व0 श्री भुरा निवासी केसरपुरा।

(5) भूमिधारी तहसीलदार, तहसील गढ़ी हाल तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

(6) मृतक वाला पिता कचरू जाति भील निवासी केसरपुरा तहसी गढ़ी हाल तहसील अरथूना के वारिसानः–

6/1. विरजी पिता स्व0 श्री वाला जाति भील निवासी केसरपुरा।

6/2. सुखलाल पिता स्व श्री वाला जाति भील निवासी केसरपुरा।

6/3. श्रीमती रिशम पत्नि स्व0 श्री वाला जाति भील निवासी केसरपुरा।

–: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 20.8.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि पटवार हल्का केसरपुरा के मौजा केसरपुरा की जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 के खाता संख्या 150 (नया) 105 (पुराना) के कुल किता 1.96 हे0 भूमि में दर्ज खातेदार मोगा पिता केला के दौराने वाद फोत हो जाने से स्व0 श्री मोगा के वारिसान दिनेश पिता स्व0 श्री मोगा साथ वादग्रस्त भूमि के मूल पुरूष स्व श्री केला के उत्तराधिकारी के रूप में कानु–गला पुत्र स्व0 श्री रंगजी, नानु–कानजी पुत्र स्व0 श्री लोजा, श्रीमती रतन पत्नि स्व0 श्री भुरा–शान्तिलाल पिता स्व0 श्री भुरा–सुरजमल पिता स्व0 श्री भुरा की वलीया माता रतन पत्नि स्व0 श्री भुरा को सहखातेदार घोषित किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 20.8.2024 को जारी की गई।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनताना वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:24:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा